भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 415
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखना

415. श्री सुधीर गुप्ताः

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य के लिए कुल कितना बजट स्वीकृत है;

(ग) क्या सरकार का विचार नवाचार और प्रौद्योगिकी निधि (एफआईएटी) स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एफआईएटी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इंडोनेशिया के साथ गैर-बासमती सफेद चावल के व्यापार के संबंध में समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): जी, हां। सरकार ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि हेतु 69,515.71 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) और रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

सरकार ने इस योजना के तहत तकनीकी पहलों को वित्तपोषित करने हेतु 824.77 करोड़ रुपये के कुल कॉर्पस के साथ सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए फंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। एफ.आई.ए.टी. का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा:

I. प्रौद्योगिकी नवाचारों जैसे यील्ड एस्टिमेशन थ्रू टेक्नॉलजी (यसटेक), वेदर इन्फर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम (विंड्स) आदि को फंड प्रदान करना।

II. प्रौद्योगिकी (जैसे ड्रोन, आई.ओ.टी., रिमोट सेंसिंग आदि) को वित्तपोषित करना और सब्सिडी देना;

III. प्रोडक्ट सैंडबॉक्स दृष्टिकोण के तहत नए बीमा और जोखिम सुरक्षा समाधानों के नवाचार और विकास को वित्तपोषित करना;

IV. प्रौद्योगिकी समाधानों में अनुसंधान और विकास एवं सुधार; और

V. फसल क्षति और उपज नुकसान अनुमान, फसल पहचान और डिजिटलीकरण आदि के लिए अनुसंधान, डिजाइन और विकास पहल, जोखिम सुरक्षा उत्पादों और प्रौद्योगिकी समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षणिक, अनुसंधान और विकास संस्थानों को अनुदान देना।

(ङ): बासमती के अतिरिक्त सफेद चावल के व्यापार पर इंडोनेशिया के साथ समझौता ज्ञापन पर

हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

*****